पत्रांक – वि॰प्रा॰(II) नया पो॰सं॰ –10 / 2009–

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं0 हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/ पटना, दिनांक–

विषय – भोजपुर जिला में पोलिटेकनिक की स्थापना की स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए कुल रू॰ 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–821, दिनांक 17.03.2016 के द्वारा राज्य सरकार ने सुशासन के कार्यक्रम (2015–2020) अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए संकल्पित सात निश्चय के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिला में पोलिटेकनिक की स्थापना की योजना की स्वीकृति तथा आगामी पाँच वर्षो (वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2020–21) में उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए कुल रू॰ 841.096 करोड़ (आठ सौ एकतालीस करोड़ नौ लाख साठ हजार रूपये) मात्र के व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. राज्य सरकार ने उक्त स्वीकृति के अन्तर्गत भोजपुर जिला में पोलिटेकनिक की स्थापना की स्वीकृति तथा भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–153, दिनांक 18.02.2016 के द्वारा उपलब्ध तकनीकी अनुमोदित स्थूल प्राक्कलित राशि के आधार पर संस्थान के भवनों के निर्माण कार्यों के लिए कुल रू॰ 36.35 करोड़ (छत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

3. उक्त स्वीकृति राशि का वहन, योजना बजट के "मुख्यशीर्ष – 4202– शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष– 02– तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष– 104– बहुशिल्प, मांग संख्या–3, उपशीर्ष–0108– पोलिटेकनिक भवन (निश्चय)" के अधीन मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा, जिसका विपत्र कोड–पी 4202021040108 है।

4. उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश / आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, भोजपुर को प्रदान किया जायेगा।

5. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत / विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भोजपुर होगें।

6. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार कोषागार, भोजपुर (आरा) से की जायेगी।

7. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

8. संस्थान की स्थापना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–42, दिनांक 14.01.2019 के द्वारा निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरित भोजपुर जिलान्तर्गत अंचल–जगदीशपुर, मौजा–ककिला, थाना सं॰–272 के खाता न॰–490, खेसरा न॰–2409, 2405, 2406, 2407, 2410, 2411, 2412, 2413, 2420, 2423 एवं 2424 में कुल रकबा क्रमशः 0.63, 0.28, 1.47, 1.60, 2.10, 0.47, 1.70, 0.30, 0.42 एवं 0.90 में कुल रकब 10.00 एकड़ (दस एकड़) भूमि पर, की जायेगी।

9. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या--3758 वि, दिनांक 31.05.2017 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक 19.02.2016 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद संख्या–09 पर लिए गये निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

10. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह०/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) नया पो॰सं॰ –10/2009– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) नया पो॰सं॰ –10/2009– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) नया पो॰सं॰ –10/2009– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव/अभियंता प्रमुख/मुख्य वास्तुविद्, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) नया पो॰सं॰ –10/2009– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – आयुक्त, मगध प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) नया पो॰सं॰ –10/2009– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि॰प्रा॰(II) नया पो॰सं॰ –10/2009– 354 /पटना, दिनांक– 29.1.019

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक (वि॰)/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/ आई॰टी॰ मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.1.19

सरकार के उप सचिव